संख्या-1565/81-2-2022-800(34)/2022

प्रेषक,

आशीष तिवारी
सचिव
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

उप वन महानिरीक्षक (केन्द्रीय)
भारत सरकार, पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय,
क्षेत्रीय कार्यालय मध्य क्षेत्र, अलीगंज, लखनऊ।

पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन अनुभाग-2 लखनऊ, दिनांक 29 जून 2022

विषय- जनपद जौनपुर के अन्तर्गत एन0एच0 डिविजन-1 पीडब्लूडी वाराणसी द्वारा राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या-135ए के चैनेज संख्या-34.900 (भदोही) से चैनेज संख्या-73.134 (जौनपुर) तक चार लेन चौडीकरण एवं सुदृढीकरण हेु प्रस्तावित 65.612 हे0 संरक्षित वनभूमि के गैरवानिकी प्रयोग एवं बाधक 5280 वृक्षों/पौधों के पातन की अनुमति के सम्बन्ध में। (प्रस्ताव संख्या-एफपी/यूपी/रोड/141411/2021)

महोदय,

उपर्युक्त विषयक कृपया अपने पत्र संख्या-8बी/यूपी/06/47/2022/एफसी/51 दिनांक 29.04.2022 का सन्दर्भ ग्रहण करें, जिसके माध्यम से विषयगत प्रकरण में कतिपय आपत्तियां की गई थी। तत्क्रम में मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी, उ0प्र0 लखनऊ के पत्र संख्या-3705/11-सी/एफपी/यूपी/रोड/141411/2021 दिनांक 24.06.2022 द्वारा आपत्ति का निराकरण करते हुए सूचना/अभिलेख शासन को उपलब्ध कराया गई है।

2- अतएवं मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी, उ0प्र0 लखनऊ के पत्र दिनांक 24.06.2022 द्वारा उपलब्ध करायी गई सूचना/अभिलेख की प्रति प्रेषित करते हुए मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि कृपया विषयगत प्रकरण वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के अन्तर्गत अग्रेतर कार्यवाही कराने का कष्ट करें।

संलग्नक यथोक्त।

Signed by आशीष तिवारी
Date: 29-06-2022 17:19:25
Reason: Approved

भवदीय,
(आशीष तिवारी)
सचिव

संख्या एवं दिनांक तदैव।

प्रतिलिपि- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है-

1. मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी, उ0प्र0 लखनऊ।
2. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
RSingh
(आर0 पी0 सिंह)
अनु सचिव